

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

वातावरण भवन, मुख्य दफ्तर, नाभा रोड पटियाला



यह सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुपालन में पंजाब सरकार विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण विभाग के अपनी अधिसूचना संख्या 3/25/23-STE4/293 दिनांक 05.07.2023 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि पंजाब राज्य में नायलॉन, प्लास्टिक या चाइना डोर/मांझा सहित किसी और सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर/कोई सिंथेटिक डोर जिस पर गैर पदार्थ की परत हो या इसी तरह की पतंग उड़ाने वाली डोर पर कोई कांच या तीखी सामग्री वाले पदार्थ से बनी हो के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात एवं प्रयोग पर पर्ण पाबंदी होगी।

उल्लंघना और सजा

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 या इसके तहत बनाए गए नियमों की उल्लंघना, उक्तअधिनियम की धारा 15 तहत दंडनीय है जिसमें 5 साल तक की कैद और / या एक लाख रुपए तक जुर्माना बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

अपील

राज्य निवासियों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे पतंगबाजी के लिए प्रतिबंधित चाइना डोर/नायलॉन/सिंथेटिक धागे का उपयोग न करते हुए इस नेक काम में सरकार की मदद करे।

नोट: यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर बेचते/भंडारण/आपुर्ति/आयात/उपयोग करता पाया जाए तो इससे संबधित जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2810 पर दी जाए। सूचना देने वाले को **25 हजार रुपए** तक (नियम एवं शर्ते लागु) का इनाम देने के साथ-साथ उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा।

किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए email id:- eehq2.2@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रो. (डॉ.) आदर्श पाल विग चेयरमैन



PUNJAB POLLUTION CONTROL BOARD

VATAVARAN BHAWAN, NABHA ROAD, PATIALA



It is to inform that in compliance of order passed by Hon'ble National Green Tribunal, Govt. of Punjab, Department of Science, Technology & Environment, in exercise of the powers conferred u/s 5 of Environment (Protection) Act, 1986 vide its Notification No. 3/25/23-STE4/293 dated 05.07.2023 has issued directions regarding complete ban on the manufacture, sale, storage, purchase, supply, import and use of kite flying thread made out of nylon, plastic or any other synthetic material including the popularly known "Chinese Dor/manjha" and any other synthetic kiteflying thread which is coated with synthetic substance & is non-biodegradable as well as any other kite flying thread that is sharp or made sharp such as by being laced with glass, metal or any other sharp materials, in the State of Punjab.

Punishment and Violation:

The Violation of directions issued under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 or the rules made there under shall be punishable under section 15 of the said Act, which includes imprisonment upto five years and/or with fine which may be extended to rupees One lac or with both.

Appeal:

Residents of the State are requested not to use banned Chinese Dor/Nylon/synthetic thread for kite flying and help the Govt. in this noble cause.

Note:- If a person is found selling/storing/supplying/importing/using China Dor, then the information regarding this should be given on the toll free number 1800-180-2810

The informer will be given a reward upto Rs. 25,000/- (Terms & Conditions Apply*) and their name will be kept confidential.

For any clarification, you may contact email id:- eehq2.2@gmail.com

Prof. (Dr.) Adarsh Pal Vig Chairman